भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय न्याय विभाग लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2588 जिसका उत्तर बुधवार, 4 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

2588. डॉ.अरविन्द कुमार शर्मा :

श्री हंस राज हंस:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने अधीनस्थ न्यायपालिका में जजों की कमी को दूर करने के लिए कुशल, एक समान, और नियमित भर्ती प्रक्रिया अपनाने और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए राज्यों और उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीशों के साथ परामर्श में कोई प्रगति की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विषय में क्या प्रगति हुई है ; और
- (ग) सरकार द्वारा एआईजेएस के शीघ्र गठन के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग): जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती और सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के चयन प्रक्रिया के पुनर्विलोकन में सहायता करने के लिए एक न्यायिक सेवा आयोग के सृजन से संबंधित विषय मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन की कार्यसूची में सम्मिलित था, जो 3 अप्रैल और 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया था। यह संकल्प किया गया था कि संबंधित उच्च न्यायालयों के लिए खुला छोड़ा जाए कि वे जिला न्यायाधीशों की शीघ्रतापूर्वक नियुक्ति के लिए रिक्तियों को भरने हेतु विद्यमान पद्धति के भीतर समुचित प्रणाली विकसित करें।

इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) जिसे सचिवों की समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया था, के गठन के लिए बनाए गए एक व्यापक प्रस्ताव पर राज्यों और उच्च न्यायालयों के विचार मंगाए गए थे। जबिक, दो उच्च न्यायालयों ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को बनाने के लिए सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। बारह उच्च न्यायालयों ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को बनाने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। छः उच्च न्यायालयों ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों में प्रवेश स्तर पर आयु, अर्हताएं, प्रशिक्षण और कोटा में परिवर्तनों का सुझाव दिया है। अधिकांश उच्च न्यायालय चाहते हैं कि अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालयों का ही रहे।

जबिक दो राज्य सरकारों ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन का समर्थन किया है, सात राज्य सरकारें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पक्ष में नहीं हैं। पांच राज्य सरकारों ने प्रस्ताव में कुछ परिवर्तनों के लिए अनुरोध किया है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए बनाए गए व्यापक प्रस्ताव, जिसे सचिवों की सिमिति द्वारा अनुमोदित किया गया था, के साथ राज्यों और उच्च न्यायालयों से प्राप्त विचारों को 5 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन के लिए कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्यों और उच्च न्यायालयों के बीच भिन्न-भिन्न रायों को ध्यान में रखते हुए, एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु सरकार ने और परामर्श किया है।
